R.M.M. Law College, Saharsa
Nareshji Anand
LL.B. Part-1st
Paper — IInd
Consititutional Law

निर्बन्धन के आधार [अनुच्छेद 19(2)]

अनुच्छेद 19(2) में निम्नलिखित आधारों का उल्लेख है जिनके आधार पर नागरिकों की वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं —

(1) राज्य की सुरक्षा,
(2) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों के हित में,
(3) लोक व्यवस्था,
(4) शिष्टाचार या सदाचार के हित में,
(5) न्यायालय अवमानना,
(6) मानहानि,
(7) अपराध उद्दीपन के मामले में
(8) भारत की प्रभुता एवं अखण्डता।

(1) राज्य की सुरक्षा :- राज्य की सुरक्षा के हित में नागरिकों के वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन लगाये जा सकते हैं। संशोधित अनुच्छेद 19(2) में 'राज्य सुरक्षा' पदावली के पहले "उसके हित में" पदावली में प्रयोग का अर्थ यह है कि यदि किसी कार्य से राज्य सुरक्षा की खतरे की आशंका भी हो तो उसे करने पर रोक लगाया

जा सकता है। भले ही उस कार्य से वस्तुतः देश की सुरक्षा को कोई आघात न पहुँचता हो।

(8) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रपूर्ण सम्बन्ध :-

भारतीय संविधान का यह उपबन्ध निश्चय ही बड़ा विस्तृत है। इसका प्रयोग सरकार की विदेशी नीतियों की वैध आलोचना की दलील में किया जा सकता है। ध्यान रहे कि यह उपबन्ध केवल विदेशी राज्यों पर लागू होता है।

(9) लोक व्यवस्था :-

"लोक व्यवस्था के हित में" पदावली केवल ऐसे कथनों तक सीमित नहीं है जो सीधे अव्यवस्था फैलाने के उद्देश्य से किये जाते हैं, बल्कि इसमें वे कथन शामिल हैं जिनमें अव्यवस्था फैलाने की प्रवृत्ति होती है। सरकार ऐसे भाषणों एवं लेखों पर पूर्व अवरोध लगा सकती है जिनमें अव्यवस्था फैलाने की प्रवृत्ति होती है।

(10) शिष्टाचार या सदाचार -

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 से लेकर 294 तक नैतिकता एवं शिष्टता के हित में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बन्धन लगाने का उपबन्ध करती है। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर ये धाराएँ अश्लील प्रकाशन को बेचने, अश्लील कृत्यों को करने अश्लील गानों या अश्लील भाषणों आदि का प्रतिषेध करती है किन्तु भारतीय दण्ड संहिता में 'अश्लीलता' की कोई कसौटी नहीं दी गई है।

Scanned with CamScanner

(5) न्यायालय का अवमानना :- इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार "न्यायालय अवमानना के अंतर्गत सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार की अवमानना शामिल है। किंतु निम्नलिखित कृत्यों से न्यायालय का अवमानना नहीं होता है:-

(a) निर्दोष प्रकाशन और उसका विवरण
(b) न्यायिक कार्यवाहियों का उचित प्रकाशन,
(c) न्यायिक कृत्य की उचित आलोचना,
(d) न्यायधीशों के विरुद्ध ईमानदारी से की हुई शिकायत
(e) वाद की न्यायिक कार्यवाहियों का सही प्रकाशन।

(6) मानहानि :-

मानहानि कथन चाहे वह आलेख हो या अपवचन इस धारा के अंतर्गत एक दण्डनीय अपराध है। न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यह धारा वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाती है। भारत में इस विषय से सम्बन्धित सिविल विधि अभी असंहिताबद्ध है और कुछ अंतर के साथ आंग्ल विधि समाना विधि का ही अनुकरण करती है।

(7) अपराध उद्दीपन :- वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति को इस बात का अधिकार नहीं देती कि वे लोगों को अपराध करने के लिए भड़काएँ या उकसावें। अपराध करने की उत्तेजना देने वाला भाषणों को रोका एवं दण्डित किया जा सकता है। 'उकसाना' शब्द के अंतर्गत क्या सम्मिलित है, इसका निर्धारण न्यायालय करेंगे।

(8) भारत की संप्रभुता एवं अखण्डता :-

इसके अंतर्गत ऐसे कथन के प्रकाशन पर निर्बन्धन लगाया जा सकता है जिससे भारत की अखण्डता एवं संप्रभुता पर किसी प्रकार की आँच आती हो या भारत के किसी भाग को संघ से पृथक होने के लिए उकसाया जाता हो।

Scanned with CamScanner